विषयः–निजी क्षेत्र में स्थित विभिन्न नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राजकीय मेडिकल कॉलेजों मे क्लीनिकल प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्रांक संख्या–आई/235090/2022/71–40099/1019/2022–4 दिनांक 14 नवम्बर, 2022 के क्रम में निम्न बिन्दु अनुसार प्रशिक्षण दिलाये जाने के निर्देश–

1–राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा वेबसाइड के माध्यम से निजी क्षेत्रों के संस्थानों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जायेगे।

2–आवेदन पर आमन्त्रित किये जाने हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज द्वारा एक फॉर्मेट तैयार किया जायेगा, (संलग्नक प्रारुप क)

3–आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होगें।

1–उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

2–उ0 प्र0 स्टेट मेडिकल फेकल्टी द्वारा सम्बद्धता प्रमाण पत्र।

3–अटल विहारी बाजपेयी मेडिकल विश्व विद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रमाण पत्र।

4–प्रशिक्षण हेतु मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रोफेसर स्तर के डाक्टर को क्लीनिकल Co-ordinator के रुप मे नियुक्त करना होगा।

5–क्लीनिकल प्रशिक्षण के लिये मेडिकल कॉलेज द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जायेगी जो निम्न प्रकार होगी

1–बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें 50 प्रश्न होगे जो कुल पूर्णांक 100 होगा जिसमे 01 घण्टे का समय होगा और अभ्यर्थी को 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।

6–परीक्षा परिणाम घोषित करने की कार्यवाही Co-ordinator द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी।

7–प्रशिक्षण के लिये निम्न अभ्यर्थी अर्ह होगें–

1–बी0एस0सी0 नर्सिंग चतुर्थ वर्ष।

2–पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रथम वर्ष।

3–एम0एस0सी0 नर्सिंग द्वितीय वर्ष।

8–परीक्षा हेतु निजी संस्था द्वारा एक मुश्त राशि रु0 5000/परीक्षा शुल्क के रुप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जायेगा जो नॉन रिफण्डेवल होगा।

9–परीक्षा का आयोजन मेडिकल कॉलेज केम्पस में कराया जायेगा जिसका परिणाम तीन कार्यदिवस मे घोषित करना होगा।

10–लेटर ऑफ कंसेन्ट (प्रारुप संलग्न–ख) निर्गत करने के लिये मेडिकल कॉलेज द्वारा निजी संस्था को सूचित किया जायेगा और वही छात्र क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु अर्ह होगें।

11– सहमति पत्र उसी Academic वर्ष हेतु मान्य होगा, जिस अवधि हेतु निर्गत किया गया है।

12–परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को क्लीनिकल प्रेक्टिस की योजना निम्नलिखित होगी–

प्रैक्टिस से पूर्व	प्रैक्टिस के दौरान	प्रैक्टिस के पश्चात
1–निजी नर्सिंग कॉलज एवं मेडिकल कॉलेज के बीच बैठक होगी जिसमे निम्नलिखित कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। (क)मेडिकल कॉलेज एवं निजी नर्सिंग कॉलेज के बीच टी0ओ0आर0 साइन करना। (ख)मेडिकल कॉलेज द्वारा Co-ordinator नामित करना जो प्रोफेसर लेवल का हो। (ग)छात्रो के तैनाती के लिये Clinical Rotation Plan बनाने के लिये नर्सिंग फैकल्टी को नामित करना।	1–Clinical Rotation Plan के अन्तर्गत छात्रो को विभिन्न विभागों में भेजना। 2–छात्रों की कॉम्पेटेन्सी को नर्सिंग फैकल्टी द्वारा मेन्टेन करना। (संलग्न–ग)	1–क्लीनिकल प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद मेडिकल कॉलेज द्वारा नर्सिंग स्टाफ एवं फैकल्टी से छात्रों का फीडबैक लेना। 2–छात्रों क्लीनिकल प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद क्लीनिकल Co-ordinator द्वारा मूल्यांकन करना।(संलग्न–ग)

13–प्रशिक्षण का प्लान–

क्र0स0	पाठ्यक्रम का नाम	कब से दिलाया जाना होगा	समयावधि
1	बी0एस0सी0 नर्सिंग (चतुर्थ वर्ष)	03 वर्ष के बाद चतर्थ वर्ष मे।	02 माह
2	पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग (प्रथम वर्ष)	प्रथम वर्ष में	02 माह
3	एम0एस0सी0 नर्सिंग (द्वितीय वर्ष)	01 वर्ष के बाद अन्तिम वर्ष मे।	02 माह

14–प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के बाद Internal Assessment test (Knowledge based & skill based) आयोजित किया जायेगा। उक्त दोनो Test 100 अंको (50–50) पर आधारित होगें। Test की Evaluation Sheet पर निम्न अधिकारियो के हस्ताक्षर किये जायेगें। (Head of Department and Co-ordinator) प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात निम्न अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। (प्रारुप संलग्न–घ)

<u>प्रशिक्षण प्रदान करने वाले मेडिकल कॉलेज हेतु दिशा निर्देश–</u>

1–भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली के अनुसार राजकीय मेडिकल कॉलेज द्वारा छात्रों को क्लीनिकल प्रशिक्षण के लिये संख्या का निर्धारण मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध बेड की संख्या एवं स्टाफ नर्स की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

2–प्रशिक्षण के लिये समय प्रातः 08 बजे से शांय 04 बजे तक रखा जायेगा। (01 स्टाफ नर्स के साथ 06 छात्र से अधिक न हो।)

3–छात्र की ड्यूटी मेडिकल द्वारा नियमित रुप से कार्यरत स्टाफ के साथ लगाई जायेगी। यदि कोई भी छात्र बिना अनुपति के अनुपस्थित रहता है तो इसकी जानकारी निजी नर्सिंग कॉलेज को उपलब्ध करायी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

4–छात्रों से आपात सेवाये ली जाने की स्थिति में उनके रहने व खाने एवं सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था राजकीय मेडिकल कॉलेज द्वारा की जायेगी अत: उनको प्रशसां प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
5–एक वर्ष मै कम से कम 05 बैच (60 छात्र प्रत्येक बैच में) को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
6–प्रशिक्षण के दौरान यदि कोई छात्र अनुशासन हीनता में पाया जाता है तो उसकी सूचना निजी सस्थान को उपलब्ध करानी होगी और यदि जॉच के दौरान दोषी पाया गया तो उसको सम्बन्धित संस्था को वापिस कर दिया जायेगा तथा उसके प्रमाण पत्र मै उसका उल्लेख कर दिया जाये।
7–छात्रो के प्रशिक्षण हेतु चार्जिस के रुप में बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग से 2000/ रुपये प्रति छात्र तथा एम0एस0सी0 नर्सिंग 3000/ रुपये प्रति छात्र प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त धनरशि का व्यय प्रशिक्षण देने वाले संस्थान प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के दृष्टिगत व्यय करने हेतु पात्र होगें। इसके लिये संस्थान के प्राचार्य द्वारा दिशा निर्देश हेतु अधिकृत होगें।
8–उक्त धनराशि का भुगतान बैक ड्राफट द्वारा (जो प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज के पक्ष में हो) के माध्यम से किया जायेगा।
9–प्रशिक्षण हेतु मेडिकल कॉलेज द्वारा Co-ordinator के रुप मे नियुक्त प्रोफेसर के द्वारा प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त कार्य किया जायेगा। Co-ordinator ये भी सुनिश्चित करेगा कि मेडिकल कॉलेज से आवेदित प्रशिक्षण केन्द्र की दूरी 30 किमी से अधिक न हो।

प्रशिक्षण हेतु भेजने वाले निजी क्षेत्र के संस्थानों हेतु दिशा निर्देश–

1–निजी कॉलेज के प्रधानाचार्य का दायित्व होगा कि प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य / Co-ordinator से सम्पर्क स्थापित करके समय से प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।
2–मेडिकल कॉलेज मे प्रशिक्षण हेतु 60 छात्रों को प्रशिक्षण के लिये भेजा जाये जो भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा निर्धारित मानक 1:3 का पालन किया जाना आवश्यक है।
3–छात्रों के साथ निजी कॉलेज के शिक्षकों एवं छात्र का अनुपात 1:10 के रुप में मेडिकल कॉलेज में भेजा जायेगा।
4–यदि मेडिंकल कॉलेज द्वारा किसी कारणवश प्रशिक्षण नही प्रदान करता है तो मेडिकल कॉलेज द्वारा ली गयी धनराशि को आगामी प्रशिक्षण हेतु समायोजित कर लिया जायेगा।
5–निजी कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को आने–जाने के लिये वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
6–राजकीय मेडिकल कॉलेज द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र का उल्लेख निजी संस्थान द्वारा इन्टर्नशिप कम्पलीशन प्रमाण पत्र मे अनिवार्य रुप से किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप संलग्न–क

Short Term Nursing Student's Training List

S. No.	Name of Institution	Course (B.Sc./PBB.Sc./M.Sc)	Date of Short Term Training	Period		No. of Students		Fee Rs 2000/- for (B.Sc./PBB.Sc.) Rs 3000/- for M.Sc	Distance from Medical College	Remark
				From	to	Boys	Girls			

Signature with Seal
Head of Institution/Principal

Note :- 30 Km Radius from the College to the Govt. Medical College where the Clinical Training is to be conducted.

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप संलग्न–ख

सहमति पत्र (Letter of Consent)

1. आवेदित संस्था का नाम :–
2. आवेदित छात्रों की कुल संख्या :–
3. परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या
   (सूची संलग्न) :–
4. शैक्षिक सत्र :–
5. पाठ्यक्रम (BSc-N/PBBSc-N/MSc-N) :–

उत्तीर्ण छात्रों को दिनांक ..... से ..... तक की अवधि हेतु क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

(प्रधानाचार्य)

नोट :– प्रधानाचार्य अन्य कोई निर्देश भी इंगित कर सकते है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप संलग्न (ग)

Semester: VII (4th Year)

Subject: Midwifery/Obstetrics and Gynecology (OBG) Nursing

Durations: 4 Weeks

Note: Before posting for clinical practice all theory topics and skill lab demonstration & practices should be completed

Ward Name	Duration of Posting	Learning Objectives	Procedural Competencies/ Clinical Skills	Clinical Requirements	Assessment Methods
ANC OPD /ANC Ward	1 week	• Assist/Observe in diagnostic procedures	• USG/NST/CTG	Observation report	
		• care of the pregnant women with complications/High Risk	• GH, PIH, Pre eclampsia, Eclampsia management	Mgso4 administration	Case study Simulation OSCE
			• GDM-	Insulin Administration	Case study Case Presentation OSCE
			• Anemia- Corrective measures	Iron sucrose administration, Tab. IFA.	Case study Simulation OSCE
Labour Room	1 week	Assist/conduct complicated deliverries	• Breech	Conduction of Labour	Case study Simulation OSCE
			• Shoulder Dystocia	Episiotomy/Tear repair	
			• Twin pregnancy		
			• Preterm labour	Neonatal Resusitation	
			• Prolonged labour		
			• obstructed labour	Partograph monitoring	
			• Vaccum extraction		
			• PPH, APH, Uterine rupture		

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप संलग्न घ

Name of Medical College/Institute

No.......... Date..........

CLINICAL TRAINING COMPLETION CERTIFICATE

Certified that .... Who is the Student of .... B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing/M.Sc. Nursing whose Enrolment no...........

He/She has joined.......... From......... up to .... He/She has satisfactorily completed .... Months Clinical Training in the following departments.

Sr. No.	Name of Department	Duration	Period of Training

Grade:- (As in internal assessment test)

During the training period his/her/work/conduct were found to be satisfactory as per record.

Sd. Sd.

(Co-ordinator) (Principal)

Seal Seal

Scanned with OKEN Scanner